रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2013/ वैशाख 3, 1935
No. 115] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2013/VAISAKHA 3, 1935

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2013

सं. 28-15/2013-आयुर्वेद (न्यूनतम स्तर).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2012 में निम्न संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:-**

(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) संशोधन विनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है), विनियम 4 हेतु निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-**

"**4. भूमि की आवश्यकता:-** (1) इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारिक संरचना के निर्मित भवन कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो।

(2) 61 से 100 सीटों की प्रवेश की क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नहीं हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो तथा प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा।

(3) कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात या फ्लोर स्पेस इंडेक्स सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा।

(4) केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण-पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-I एवं अनुसूची-II के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में निर्मित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए।

(5) भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या न्यूनतम 99 वर्ष की अवधि के लिए कॉलेज के नाम पर पट्टे पर होनी चाहिए अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य के नियमों- विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए तथापि अनुमति का नवीनीकरण पट्टे की समाप्ति पर आवश्यक होगा।

(6) भूमि का विस्तार तथा स्वामित्व 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कालेजों के लिए लागू नहीं है परन्तु सक्रिय पट्टे की अवधि के अंत में ऐसे कालेजों को या तो अपनी निजी भूमि रखनी होगी या फिर इसे पट्टे पर न्यूनतम 99 वर्ष की अवधि के लिए अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य के नियमों-विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर प्राप्त करना होंगे।"

3. **प्रधान विनियमों में, विनियम 5 में, उप विनियम (1) हेतु निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—**

"(1) साठ छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल का निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्गमीटर होगा।

(1क) 61 से 100 छात्रों तक की प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल का निर्मित क्षेत्र क्रमशः चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्गमीटर होगा।

(1ख) अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों का निमार्ण अलग-अलग किया जाना चाहिये तथा कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों की अलग-अलग आवश्यकता मात्र इस अधिसूचना की तिथि के पश्चात् स्थापित कालेजों पर लागू होगी।"

4. **प्रधान विनियमों में, विनियम 7 में, उपविनियम (2) हेतु निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—**

"(2) **शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्यरोगी विभाग उपस्थिति :-** स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, अंतरंग रोगी विभाग का शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति क्रमशः 1:1, चालीस प्रतिशत एवं 1:2, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है, के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं के बीच की दूरी डेढ़(1½) मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।"

तालिका

प्रवेश क्षमता प्रति वर्ष	अन्तरंग रोगी विभाग में 1:1 छात्र शय्या अनुपात पर न्यूनतम शय्याओं की संख्या	गत एक कलैण्डर वर्ष के दौरान अंतरंग रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (365 दिन) (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग)	गत एक कलैण्डर वर्ष के दौरान बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (300 दिन) (1:2 छात्र -रोगी अनुपात)
60 छात्रों तक	60 शय्या	24	120
61 से 100 छात्र	100 शय्या	40	200"

5. **प्रधान विनियमों में, विनियम 8 में, उपविनियम (2) हेतु निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-**

"(2) **शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयुः** शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उस विशिष्ट संस्थान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले से लागू मानकों के अनुसार होगी तथा शिक्षकों का पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में 65 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।"

6. **प्रधान विनियमों में, विनियम 10 में,**

(i) उपविनियम (2) में,-

(क) प्रारम्भिक भाग में, "साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु कॉलेज छात्रों के प्रथम बेच" शब्दों के लिए " छात्रों के प्रथम बेच" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे,

(ख) खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(ग) अस्पताल के संचालन हेतु कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक शिक्षक;

(घ) साठ तक प्रवेशों हेतु पचास व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले तथा इक्सठ से सौ प्रवेशों हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले दो हजार पुस्तकों का पुस्तकालय तथा पर्याप्त स्टॉफ;";

(ii) उपविनियम (3) में,-

(क) खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) हेतु निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(ख) महाविद्यालय अस्पताल में कार्य संचालन हेतु कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक शिक्षक;

(ग) साठ तक प्रवेश हेतु पचास व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले तथा इक्सठ से सौ प्रवेशों हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले पांच हजार पुस्तकों का पुस्तकालय तथा पर्याप्त स्टॉफ;";

(ख) खण्ड (झ) हेतु, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(झ) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से जुड़ी एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधि तैयार करने हेतु अनुसूची II में विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र तथा अनुसूची VII के अनुसार उपकरण होगे।

(iii) उपविनियम (4) में,- .

(क) खण्ड (ख) तथा खण्ड(ग) हेतु निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(ख) महाविद्यालय अस्पताल में कार्य संचालन हेतु कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक शिक्षक;

(ग) साठ तक प्रवेशों हेतु पचास व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले तथा इक्सठ से सौ प्रवेशों हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले पांच हजार पुस्तकों का पुस्तकालय तथा पर्याप्त स्टॉफ;";

(ख) खण्ड (झ) हेतु निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(झ) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से जुड़ी एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधि तैयार करने हेतु अनुसूची II में विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र तथा अनुसूची VII के अनुसार उपकरण होंगे।

(IV) उपविनियम (5) में,- खण्ड(ग) हेतु निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
''(ग) साठ तक प्रवेशों हेतु पचास व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले तथा इक्सठ से सौ प्रवेशों हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले सात हजार पांच सौ पुस्तकों का पुस्तकालय तथा पर्याप्त स्टॉफ''

(V) उप विनियम (5) के, खण्ड (छ) के पश्चात्, कोष्ठक, अंक तथा शब्द ''(5) स्थापना की अनुमति'' के लिए कोष्ठक अंक तथा शब्द ''(6) स्थापना की अनुमति'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. प्रधान विनियमों में, तालिका में अनुसूची 1 में,-

(क) बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) से सम्बन्धित क्रम संख्या III के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि ''470'' के लिए प्रविष्टि ''500'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) भौतिक चिकित्सा इकाई से सम्बन्धित क्रम संख्या VII के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि ''130'' के लिए प्रविष्टि ''150'' को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. प्रधान विनियमों में, अनुच्छेद 2 के पश्चात् अनुसूची-I के अन्तर्गत टिप्पणी में निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्:-
"3. प्रत्येक बाह्य रोगी विभाग के साथ संलग्न शौचालय की आश्यकता इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों पर लागू होगी।"

9. प्रधान विनियमों में, अनुसूची II में, तालिका में-

(क) क्रम संख्या (2) के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-
व्याख्यान हाल: कॉलेज में कम से कम पॉच व्याख्यान हॉल होंगे जहाँ साठ सीटों की क्षमता के लिए प्रत्येक हॉल अस्सी वर्ग मीटर क्षेत्र से कम का नहीं हो एवं इकसठ से सौ सीटों की क्षमता के लिए हॉल 160 वर्ग मीटर क्षेत्र के होंगे, जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानतः थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

(ख) क्रम संख्या (4) के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-
केन्द्रीय पुस्तकालय: केन्द्रीय पुस्तकालय में साठ की प्रवेश क्षमता तक कम से कम पचास व्यक्तियों तथा इकसठ से सौ की प्रवेश क्षमता तक अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता, शैल्फ अथवा अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकालयाध्यक्ष का कक्ष, प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम कम्प्यूटर होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेय जल का प्रबन्ध तथा शौचालय सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी। छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बैचों के प्रवेश से पूर्व पुस्तकों की संख्या पांच हजार तक तथा छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश के पूर्व सात हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेंगी। ऐसे महाविद्यालय को जो पांच वर्ष अथवा उससे अधिक से अस्तित्व में हैं, दस हजार पुस्तकें रखनी होंगी।

(ग) क्रम संख्या (5) के सामने, कॉलम (2) में,-

(क) प्रारम्भिक भाग में प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
शिक्षण विभाग: चौदह शिक्षण विभाग होंगें जिनमें से प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए कक्ष, एक छोटा विभागीय पुस्तकालय, एक छोटा कार्यालय, गैर शिक्षण स्टॉफ हेतु कार्य स्थान तथा विशिष्ट विभाग की आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष। विभागानुसार क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी;";

(ख) मद (i) तथा मद (ii) हेतु, तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित मदें तथा प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"(i) संहिता तथा सिद्धान्त विभाग तथा विभागीय पुस्तकालय व शिक्षकीय कक्ष;

(ii) हवादार शवविच्छेदन हॉल सहित रचना शरीर विभाग, पर्याप्त लॉकरों तथा वास-बेसिन सहित छात्रों के लिए एक कक्ष, चार शव हेतु एक भण्डारण टैंक अथवा प्रशीतत (फ्रीजर) सहित शव का संलेपन करने हेतु एक कक्ष तथा वैकल्पिक माइक्रो ऐनाटमी प्रयोगशाला सहित रचना शरीर संग्रहालय;";

(ग) मद (vi) हेतु, तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित मदें तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"(vi)रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान विभाग तथा विकृति विज्ञान (रोगविज्ञान) प्रयोगशाला;";

(घ) क्रम संख्या (6) के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"शिक्षण औषधशाला तथा औषधि गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला: कॉलेज में विभिन्न प्रकार की आयुर्वेद की औषधियां जैसे चूर्ण, वटी, गुग्गलु, आसव-अरिष्ट, स्नेह कल्प, क्षार तथा लवण, लौह, अवलेह, कूपीपक्व रसायन इत्यादि तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला, एक कच्ची-औषधि का भण्डारगृह तथा अंतरंग औषधि एकीकरण होगा।"

(ङ) क्रम संख्या (7) के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"सामान्य कक्ष: बैठने के पर्याप्त स्थान तथा प्रबन्ध सहित बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक सामान्य कक्ष उपलब्ध होगें।"

10. प्रधान विनियमों में, अनुसूची-II के अन्तर्गत टिप्पणी में, अनुच्छेद 2 को छोड़ दिया जायेगा।

11. प्रधान विनियमों में, अनुसूची-III में, तालिका में, कॉलम (3) तथा (4) हेतु सम्मिलित शीर्षक में ''निर्मित क्षेत्र'' शब्दों हेतु ''क्षेत्र'' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. प्रधान विनियमों में, अनुसूची-III के अन्तर्गत टिप्पणी में, अनुच्छेद 2 को छोड़ दिया जायेगा।

13. प्रधान विनियमों में, अनुसूची-IV, तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
''1. चिकित्सालय अधीक्षक के पद हेतु पदधारी प्राध्यापक की अर्हता से कम का नहीं होगा।

2. प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता पदेन चिकित्सालय अधीक्षक के रूप में कार्य कर सकेंगे तथापि यदि यहाँ चिकित्सालय अधीक्षक का पद है तो वह अस्तित्व में रहेगा।

(ख) क्रम संख्या 18 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टियों हेतु निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

" एक अंशकालिक अथवा संविदा पर।"

(ग) क्रम संख्या 19 के सामने, कॉलम (2) में प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"नेत्रचिकित्सक"

(घ) क्रम संख्या 34 के सामने, कॉलम (2) तथा (3) में तत्संबंधी प्रविष्टियां छोड़ दी जाएंगी।

14. प्रधान विनियमों में, अनुसूची-V के अन्तर्गत टिप्पणी में, अनुच्छेद ii हेतु निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

"**ii.** (क) 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक शिक्षकों की कमी चौदह विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आवश्यकता के 10% से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। उच्च संकाय की कुल संख्या कम से कम 11 विभागों में वितरित 12 प्राध्यापक/प्रवाचक से कम नहीं होगी। प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु यह छूट मात्र शैक्षिक सत्र 2013-14 तथा 2014-15 के लिए है तथा इसके पश्चात् उपलब्ध नहीं होगी। उदाहरणस्वरूप 60 सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले कॉलेज में कम से कम कुल 27 संकाय होंगे जिनमें से कम से कम 12 प्राध्यापक अथवा प्रवाचक कम से कम 11 विभागों से सम्बन्धित होंगे।

(ख) 61 से 100 तक प्रवेश क्षमता हेतु कुल शिक्षकों की कमी कुल आवश्यकता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी तथा उच्च संकाय की कमी चौदह विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक उच्च संकाय तथा एक व्याख्याता की उपलब्धता सहित कुल शिक्षकों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी तथा उच्च संकाय की कुल संख्या 19 से कम नहीं होगी। प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु यह छूट मात्र शैक्षिक सत्र 2013-14 तथा 2014-15 के लिए है तथा इसके पश्चात् उपलब्ध नहीं होगी। उदाहरणस्वरूप - 61 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले कॉलेज में कम से कम कुल 40 संकाय होंगे जिनमे से कम से कम 19 प्राध्यापक/प्रवाचक सभी 14 विभागों से सम्बन्धित होगें।

15. प्रधान विनियमों में अनुसूची-VII में,

(क) क्रियाशरीर प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों के विवरण से सम्बन्धित मद(क) के अधीन तालिका में, क्रम संख्या 27 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियां छोड़ दी जायेंगी।

(ख) मद (क) तथा तत्संबंधी तालिका के पश्चात् निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क-1) विच्छेदन कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्रं.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यन्त्र		अपेक्षित संख्या
1	(i)	2-4 शव संरक्षण क्षमता युक्त टैंक	
	(ii)	संरक्षण कैमिकल्स	
2		डाइसैक्टिंग टेबल	10
	(i)	स्टील की ऊपरी सतह अथवा मार्बल स्टेनलैस का ऊपरी सतह युक्त पूर्ण आकार की	4
	(ii)	स्टील की ऊपरी सतह अथवा मार्बल स्टेनलैस की ऊपरी सतह युक्त अर्ध आकार की	8
3		अन्य	
	(i)	बोन कटर ¾, ½, ¼, ⅛ नम्बर के – फाइन पायंटेड चिजल बोन डाइसैक्टर	
	(ii)	बाल्टी एवं मग	
	(iii)	ग्लवंस पाउडर	
	(iv)	सर्जिकल ग्लव्स	
	(v)	सर्जिकल ब्लेड	
	(vi)	साबुन	
	(vii)	डिस्पोजेबल सीरिंज - 20सीसी, 10सीसी, 5सीसी	
	(viii)	तौलिए	
	(ix)	कूड़ादान	
4		फर्नीचर एवं अन्य एक्विपमेंट्स	
	(i)	स्टूल्स (प्राथमिकतः धातु के)	50
	(ii)	वॉश बेसिन	2
	(iii)	बोन्स एवं ब्रेन सैक्शनिंग के लिए मशीनें	1
	(iv)	ओ.एच.पी.	1
	(v)	एक्स-रे दर्शी बॉक्स अथवा पैनल्स	3
	(vi)	विभिन्न आकार के कॉंच के जार	300"

(ग) शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों के विवरण से सम्बन्धित मद (च) के अधीन तालिका में, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र
I	शल्य
1.	स्पोट लाइट (छत में फिटकी हुई शैडोलैस)
2.	नीडल होल्डिंग फारसैप्स (बड़ी-मध्यम-छोटी आकार)
3.	एसोर्टिड साइज के ड्रैसिंग ड्रम
4.	ड्रम स्टैण्ड
5.	आई.वी. स्टैण्ड
6.	एक्सरे व्यू बाक्स (डबल)
7.	सर्जन्स गाउन
8.	मास्क एण्ड कैप
9.	गौज, कॉटन एवं पट्टियाँ
10.	विभिन्न साईज के ग्लवस
11.	चीटल्स फॉरसैप्स
12.	टावल क्लिप्स
13.	कास्क्यूटो फॉरसैप्स
14.	सीधी कैंची (टेलर)
15.	विभिन्न साईज की कर्व्ड सीजर
16.	स्टिच रिमुवल सीजर
17.	डिसैक्शन फॉरसैप्स
18.	साइनस फॉरसैप्स
19.	प्रोब्स-एसोर्टिड साइज
20.	पाइन्टड सीजर्स
21.	गैस्ट्रिक एवं इंटस्टिनल क्लैम्प (आक्लूसिव क्रशिंग)
22.	एब्डामिनल रिटैक्ट्र्स
23.	टिश्यू फॉरसेप्स
24.	बोब कोक्स फॉरसेप्स
25.	कोचर्स फॉरसेप्स
26.	यूरिथ्रल डायलेटर
27.	रबर कैथेटर ऑफ असोर्टिड साइज
28.	मैटल कैथेटर
29.	कारूगेटेड रबर ड्रेन
30.	सूचरिंग नीडिल (स्ट्रेट/कर्क) असोर्टिड साइज के साथ
31.	सर्जिकल ब्रेड
32.	स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स
33.	राइट ऐंगल कोलेसिस्टैक्टमी फॉरसैप्स
34.	स्टोन होल्डिंग फॉरसेप्स
35.	एलीस फॉरसैप्स स्मॉल
36.	एलीस फॉरसैप्स बिग
37.	आर्टरी फॉरसैप्स स्मॉल
38.	आर्टरी फॉरसैप्स बिग
39.	आर्टरी फॉरसैप्स मीडियम
40.	सिग्माइडोस्कोप रिजिड/फलैक्सिबल
41.	बैरन पाइल्स गन
42.	लैरिंगोस्कोप (पीडियाट्रिक/अडल्ट)
43.	बोइल्स अपैरेटस
44.	मल्टीपैरामीटर मानीटर
45.	अम्बू बैग

1643 GI/13-2

46.	सक्शन मशीन इलैक्ट्रिकल अथवा मैनुअल
47.	आपातकालीन पॉवर बैकअप सुविधा
48.	एमर्जेंसी लाईट
49.	फायर एक्सटिंग्विशर
50.	स्किन ग्राफटिंग नाइफ विद हैण्डल
51.	सर्जिकिल ब्लेड्स विभिन्न आकार के
52.	बी.पी. हैण्डल विभिन्न आकार के
53.	वर्टिकल बी.पी. इन्स्ट्रूमेन्ट
54.	सैल्फ रिटेनिंग रिट्रेक्टर
55.	बोन ड्रिल मशीन
56.	बोन कटर
57.	गिग्ली सॉ
58.	स्कूप
59.	पैरीआस्टियम एलीवेटर
60.	मैग्लर फॉरसैप्स
61.	हाई प्रैशर आटोक्लेव
62.	फ्यूमिगेटर
63.	रैफरीजिरेटर
64.	नाइट्रस आक्साइड सिलिंडर
65.	हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल
66.	शैडोलैस लैम्प सीलिंग
67.	बाएल्स अपैरेटस
68.	इन्स्ट्रूमेन्ट ट्राली
69.	एण्डो ट्रेकियल ट्यूब
70.	प्राक्टोस्कोप विद या विदआउट इल्यूमिनेशन
71.	रिवाल्विंग स्टूल
72.	ग्रेब्रिल सिरिन्ज
73.	स्ट्रेचर ट्राली
74.	मास्किटो फॉरसेप्स
75.	नीडिल होल्डर
76.	बी.पी. एपेरेटस
77.	सक्शन मशीन
II	**शालाक्य : नेत्रीय शल्यकर्म के लिए आवश्यक उपकरण अथवा यन्त्र**
78.	ऑफथैल्मिक ऑपरेशन टेबल विद
79.	स्टैरिलाइज़िग बाक्स/मैट्स सहित केस
80.	लैन्स इन्सर्शन फॉर्सेप्स
81.	किराटोम
82.	डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर
83.	कैट पाव लैक्रिमल रिट्रेक्टर
84.	मूलर लैक्रिमल सैक रिट्रेक्टर
85.	डस्टूर आइरिस रिट्रेक्टर
86.	मीयरहाफर चेलेजियन क्यूरेट
87.	सिंस्काई लैन्स मैनिपुलेटिंग हुक
88.	आई.ओ.एल. मैनिपुलेटर
89.	फारेन बाडी स्पड
90.	व्लिस लैन्स लूप (वैक्टिस)
91.	सिस्टोटोम एण्ड स्पून
92.	म्यूल एविसरेशन स्पून
93.	आइरिस रिपोसिटरी (डबल-एण्डिड)
94.	जेमसन मसल हुक

95.	विल्स काट्री विद कापर बाल पाइंट
96.	लैंग्स लैक्रिमल सैक डिसेक्टर
97.	कैली ग्लूकोमा पंच
98.	इलिवेटर (डबल इण्डिड)
99.	नेसल स्पैकुलम (युवा/बाल्यवास्था हेतु)
100.	वाइल्डर पंक्टम डाइलेटर
101.	बोमैन लैक्रिमल प्रोब
102.	टावेल क्लैम्प
103.	हार्टमैन मासक्यूटो फॉर्सेप्स
104.	कोलिब्रो फॉरसेप्स 1*2 टीच
105.	टांइग प्लेट फार्म के साथ मैक पर्सन कार्नियल फॉर्सेप्स
106.	ड्रेसिंग फॉर्सेप्स, सिरेटड
107.	मूर फील्ड कंजक्टिवल फॉरसैप्स
108.	फिक्सेशन फॉरसैप्स
109.	बीर सीलिया (एपिलेशन) फॉरसैप्स
110.	अरूगा कैप्सुलर फॉरसैप्स
111.	स्नैलन एन्ट्रोपियान क्लैम्प
112.	चलैज़ियन क्लैम्प
113.	वन्नास स्ट्रेट सिज़र
114.	बराक्वयर नीडल होल्डर
115.	एयर इन्जक्शन कैन्यूला
116.	हीलान एस्पिरेटिंग कैन्यूला
117.	ए.सी.वास कैन्यूला
118.	लैक्रिमल कैन्यूला
119.	हाइड्रोलाइसिस कैन्यूला
120.	जे-लूप कैन्यूला (राइट/लैफ्ट विद सिलिकॉन ट्यूबिंग)
121.	सिम्को डायरेक्ट आई/ए कैन्यूला विद सिलीकॉन ट्यूबिंग
122.	इरिगेटिंग एस्पाइरेटिंग हैण्डल
123.	लैंस डायलर
124.	सुपीरीयर रेक्टस फॉरसेप्स
125.	आई वॉश ग्लासेस (तर्पण कम हेतु)
126.	स्विमिंग गॉगल्स (तर्पण कर्म हेतु)
III	**ई.एन.टी. में शल्यकर्म हेतु उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण**
127.	ऑरल सिरिंज
128.	जाबसंन्स ऑरल प्रोब
129.	यूस्टेकियन कैथेटर
130.	मैस्टाइड रिट्रेक्टर
131.	मैस्टाइड गॉज
132.	मैलट
133.	नेजल फारेन बॉडी हुक
134.	नेजल पैकिंग फॉरसैप्स
135.	नेजल स्नेर
136.	बेयोनेट शेप्ड गॉज
137.	वाल्समैन फॉरसैप्स
138.	लैरिन्जियल फॉरसैप्स
139.	टंग प्लेट विद थ्राट सक्शन
140.	टॉसिल होल्डिंग फॉरसैप्स
141.	टांसिलर सक्शन
142.	एडिनायड क्यूरैट विद केज
143.	पेरीटांसिलर एब्सिस ड्रेनिंग फॉरसैप्स

144.	फुलर्स ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब
145.	चीटल्स फारसेप्स
146.	अन्य प्रयोग होने वाला सामान गल्स, सिरिंज, बैन्डेजस सूचर्स आदि

शमशाद बानो, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन III /4/असाधारण/124/13]

टिप्पण : अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) संशोधन विनियम, 2013 को अन्तिम माना जायेगा।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2013

No. 28-15/2013-Ay.(Minimum Standards).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendment in the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2012, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Amendment Regulations, 2013.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2012 (herein after referred to as the principal regulations), for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely:-**

   "4. Requirement of Land.-(1) The total build up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than three acres, for an intake capacity up to sixty seats.

   (2) For intake capacity from sixty one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilometer, and the plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, will be treated as one piece of land.

   (3) The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio or Floor Space Index allowed by the authority concerned or local laws or rules.

   (4) A certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which can be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying for permission of the Central Government.

   (5) The land should be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory and the renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease.

   (6) The requirement of the size and possession of the land is not applicable for the colleges established prior to the 7th November, 2003, but at the end of the current lease period, such colleges should either own the land or get it on the lease for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory".
3. **In the principal regulations, in regulation 5, for sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-**

   "(1) The college and attached hospital shall have the constructed area of two thousand square meter each for intake capacity up to sixty seats.

   (1A) The college and attached hospital which have intake capacity of sixty-one to hundred seats shall have the constructed area off our thousand and three thousand and five hundred square meters, respectively.

   (1B) The college and hospital should be constructed in separate buildings as per the details specified in the Schedule-I and the Schedule-II and the requirement of separate college and hospital buildings will be applicable only for the colleges established after the date of this notification".
4. **In the principal regulations, in regulation 7, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-**

   "(2) Requirement of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance:The ratio of students with number of beds, In-Patient Department bed occupancy and Out-Patient Department attendance shall be 1:1, forty per cent and 1:2, respectively for under graduate courses, as given in Table below and the distance between two beds in general ward should not be less than one and a half meter."

TABLE

Intake capacity per year	Minimum number of beds in In Patient Department on the 1:1 student-bed ratio	Minimum per day average number of patients in In Patient Department during last one calendar year (365 days) (40% bed occupancy)	Minimum per day average number of patients in Out Patient Department during last one calendar year (300days) (1:2 student-patient ratio)
Up to 60 students	60 beds	24	120
61 to 100 students	100 beds	40	200".

5. **In the principal regulations, in regulation 8, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-**

"(2) Age of superannuation of teachers: The age of superannuation of teachers shall be as per the norms of the Central Government or State Government or University Grant Commission, as already applicable in that particular Institute, and the retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers can be re-employed up to the age of sixty-five years as full time teacher".

6. **In the principal regulations, in regulation 10,**

(i) in sub-regulation (2), -

(A) in the opening portion, for the words "first batch of students for intake capacity of sixty students,", the words "first batch of students," shall be substituted;

(B) for clause (c) and clause (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(c) at least one specialist doctor or one clinical teacher in each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakya, Prasuti Tantra evum Stri Roga, Kaumarbhritya appointed for operating the hospital;

(d) a library with two thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and adequate staff;";

(ii) in sub-regulation (3), -

(A) for clause (b) and clause (c), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(b) at least specialist doctor or one clinical teacher in each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakya, PrasutiTantra and Stri Roga, Kaumarbhritya Departments for working in the college hospital;

(c) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and adequate staff;";

(B) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) there shall be a Teaching Pharmacy (Rasayanashala) and quality Testing Laboratory attached to Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana, with minimum area as specified in Schedule II and equipment as per the Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus.";

(iii) in sub-regulation (4), -

(A) for clause (b) and clause (c), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(b) at least one specialist doctor or one clinical teacher in each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakya, Prasuti Tantra and Stri Roga, and Kaumarbhritya departments for working in the college hospital;

(c) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity forsixty-one to hundred admissions and adequate staff;";

(B) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) there shall be a Teaching Pharmacy (Rasayanashala) and quality Testing Laboratory attached to Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana, with minimum area as specified in Schedule II and equipment as per the Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus.";

(iv) in sub-regulation (5), -for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) a library with seven thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and adequate staff;";

(v) after clause (g) of sub-regulation (5), for the brackets, figure and words **"(5) The permission to establish"**, the brackets, figure and words **"(6) The permission to establish"** shall be substituted.

7. **In the principal regulations, in Schedule – I in the table, -**

(A) against serial number III relating to Out-Patient Department (OPD), in column (3), for the entry "470", the entry "500" shall be substituted;

(B) against serial number VII relating to Physiotherapy Unit, in column (3), for the entry "130", the entry "150" shall be substituted.

8. **In the principal regulations, in the note under Schedule–I after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-**

1643 GI/13-3

"3. The requirement of attached toilet with each Out-Patient Department is applicable for the colleges established after the date of this notification.".

9. In the principal regulations, in Schedule – II, in the table, -

(A) against serial number (2), for the entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:-

"Lecture halls: There shall be at least five lecture halls, each having the area of not less than eighty square meter area for intake upto sixty seats and one hundred and sixty square meter area for intake from sixty-one to hundred seats, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans or coolers and comfortable sitting arrangement preferably theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor.";

(B) against serial number (4), for the entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:-

"Central Library: A central library shall have seating capacity for at least fifty persons for up to sixty intake capacity and eighty persons for sixty-one to hundred intake capacity, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier or video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans or coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have two thousand five hundred books of different titles of Ayurveda, modern medicine and allied sciences at the time of first admission of students. The number of books shall increase to five thousand before the admission of second and third batches of students and seven thousand five hundred before the admission of fourth batch of students. The college with existence for five years or more shall have ten thousand books.";

(C) against serial number (5), in column (2),-

(a) for the entries in the opening portion, the following entries shall be substituted, namely:-

"Teaching Departments: There shall be fourteen Teaching Departments each with rooms for teachers, a small \departmental library, a small office, working accommodation for non-teaching staff and a museum or laboratory or dissection hall or tutorial room as per requirement of individual department. Department-wise area requirement shall be as under:";

(b) for item (i) and item (ii), and the entries relating thereto, the following items and entries shall be respectively substituted, namely:-

"(i) Samhita and Siddhanta Department plus Departmental library-cum-tutorial room;

(ii) Rachana Sharir Department with Dissection Hall having proper ventilation, a room for students with adequate lockers and wash basins, an embalming room with a storage tank or freezer for four dead bodies and Rachana Sharir museum with optional micro-anatomy laboratory;";

(c) for item (vi), and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"(vi) Roganidan avum Vikriti Vigyan Department plus Vikriti Vigyan (Pathology) Laboratory;";

(D) against serial number (6), for entries in column (2),the following entries shall be substituted, namely:-

"**Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory:** The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Ayurveda medicines such as Churna, Vati, Guggulu, Asava-arishta, Sneha Kalp, Kshar and Lavana, Lauh, Avaleha, Kupipakva Rasayanaand like medicines, a raw drug store, and in-house drug identification.";

(E) against serial number (7), for entries in column (2),the following entries shall be substituted, namely:-

"**Common Rooms:** Separate common rooms for boys and girls with adequate space and seating arrangement shall be available.".

10. In the principal regulations, in the note under Schedule – II, paragraph 2 shall be omitted.

11. In the principal regulations, in Schedule – III, in the Table, in the common heading for columns (3) and (4), for the words "Built up area", the word "Area" shall be substituted.

12. In the principal regulations, in the note under Schedule – III, paragraph 2 shall be omitted.

13. In the principal regulations, in Schedule – IV, in the Table, -

(A) against serial number 1, for the entries in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-

"1. The incumbent to the post of Hospital Superintendent will be with qualification not less than that of Professor; or

2. Principal or Dean may function as ex-officio Hospital Superintendent and if there is an existing post of Hospital Superintendent, it shall continue to exist.";

(B) against serial number 18, for the entries in column (3), the following entries shall be substituted, namely:-

"One part time or on contract.";

(C) against serial number 19, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely:-

"Ophthalmologist";

(D) against serial number 34, for the entries relating thereto in column (2) and (3),shall be omitted.

14. In the principal regulations, in the note under Schedule – V, for paragraph ii, the following shall be substituted, namely:-

"ii. (a) The deficiency of teachers for up to sixty intake capacity shall not exceed more than ten per cent of total requirement with availability of at least one teacher in each of fourteen Departments and the total number of higher faculty shall not be less than twelve Professor or Reader distributed in at least eleven Departments. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for academic sessions 2013-14 and 2014-15 only and will not be available thereafter. For example, the college having up to sixty seats intake capacity shall have atleast twenty seven total faculties, out of which atleast twelve Professor or Reader covering not less than eleven Departments.

(b) The deficiency of total teachers for sixty-one to hundred intake capacity shall not exceed more than ten per cent of total requirement and deficiency of higher faculty shall not exceed more than twenty per cent of total teachers with availability of at least one higher faculty and one Lecturer in each of fourteen Departments and the total number of higher faculty shall not be less than nineteen. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for academic sessions 2013-14 and 2014-15 only and will not be available thereafter. For example, the college having for sixty-one to hundred seats intake capacity shall have atleast forty total faculties, out of which atleast nineteen Professor or Reader covering all fourteen Departments".

15. **In the principal regulations, in Schedule – VII,**

(A) in the Table under item (A) relating to details of equipment and instruments required for physiology laboratory, serial number 27 and the entry relating thereto shall be omitted;

(B) after item (A) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"(A-1). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR DISSECTION HALL

S. No.	Essential Instruments and Equipment	Required numbers
1.	(i)Tank with a capacity to preserve 2 to 4 bodies	
	(ii) Preservative Chemicals	
2.	Dissection Tables Sets	10 Seats
3.	Dissecting Table	
	(i)Full size with steel top or marble top stainless	04
	(ii)Half size with steel top or marble top stainless	08
4.	Miscellaneous	
	(i) Bone cutter of the number ¾ , ½ , ¼, ⅛ - fine pointed Chisel bone dissector	
	(ii) Bucket and Mug	
	(iii) Gloves powder	
	(iv) Surgical gloves	
	(v) Surgical blade	
	(vi) Soap	
	(vii) Disposable syrings-20cc, 10cc, 5cc	
	(viii) Towels	
	(ix) Dustbin	
5.	Furniture and other Equipment	
	(i) Stools preferably of metal	50
	(ii) Wash basin	02
	(iii) Machines for bones and brain sectioning	01
	(iv) Over Head Projector	01
	(v) X-ray viewing box or panels	03
	(vi) Glass jars of different sizes	300.";

(C) for the Table under item (F) relating to details of equipment and instruments required for operation theatre, the following Table shall be substituted, namely:-

S.No.	Essential Equipment and Instruments
I	**Shalya:**
1.	Spot light (Shadowless ceiling fitted)
2.	Needle holding Forceps (big- medium-small)
3.	Dressing drums of Assorted size
4.	Drum stand
5.	IV Stand
6.	X-ray View Box (double)
7.	Surgeon's gawn

8.	Mask and caps
9.	Gauze, cotton and bandage
10.	Gloves of different size
11.	Cheetles Forceps
12.	Towel Clips
13.	Mosquito forceps
14.	Scissors straight (Tailor)
15.	Scissors curved of different sizes
16.	Stich removal scissors
17.	Dissection forceps
18.	Sinus Forceps
19.	Probes - Assorted size
20.	Pointed scissors
21.	Gastric and Intestinal clamps (occlusive and crushing)
22.	Abdominal Retractors
23.	Tissue Forceps
24.	Bob Kock's Forceps
25.	Kocher's Forceps
26.	Urethral Dilators
27.	Rubber catheters of Assorted size
28.	Metal Cathetors
29.	Corrugatedrubber drain
30.	Suturing Needle (straight/curved) of Assorted size
31.	Surgical Thread
32.	Sponge holding forceps
33.	Right Angle cholecystectomy Forceps
34.	Stone holding forceps
35.	Allies Forceps small
36.	Allies Forceps Big
37.	Artery Forceps small
38.	Artery Forceps big
39.	Artery Forceps Medium
40.	Sigmoidoscope Rigid/flexible
41.	Barron Pile's Gun
42.	Laryngoscope Pediatric/Adult
43.	Boyles Apparatus
44.	Multiparameter Monitor
45.	Ambu Bag
46.	Suction machine Electrical or Manual
47.	Emergency power back up facility
48.	Emergency light
49.	Fire Extinguisher
50.	Skin grafting knife with handle
51.	Surgical blades of different size
52.	BP Handle of different size
53.	Vertical BP Instrument
54.	Self-Retaining Retractor
55.	Bone Drill Machine
56.	Bone cutter
57.	Giggly Saw
58.	Scoop
59.	Periasteum elevator
60.	Maggler Forceps
61.	High Pressure Autoclave
62.	Fumigator
63.	Refrigerator
64.	Nitrous Oxide Cylinder
65.	Hydrolic Operation Table
66.	Shadow less lamp ceiling
67.	Boyle's Appratus

68.	Instrument Trolley
69.	Endotracheal Tube
70.	Proctoscope with or without illumination
71.	Revolving Stool
72.	Gabrial Syringe
73.	Strecher with trolley
74.	Mosquito forceps
75.	Needle holder
76.	BP Apparatus
77.	Suction Machine
II	**Shalakya: Ophthalmic Equipment or Instruments for Operative Surgery**
78.	Ophthalmic Operation table with Head rest
79.	Sterilizing box/case with matts
80.	Lens insertion Forceps
81.	Keratome
82.	Desmarres lid retractors
83.	Cat-paw lacrimal retractor
84.	Mueller lacrimal sac retractor
85.	Dastoor iris retractor
86.	MeyrhoeferChalazioncurrete
87.	Sinsky lens manipulating hook
88.	IOL Manipulator
89.	Foreign body spud
90.	Lewis lens loop (vectis)
91.	Cystotome and spoon
92.	Mule Evisceration spoon
93.	Iris repository (double-ended)
94.	Jameson muscle hook
95.	Wills cautery with copper ball-point
96.	Langs lacrimal sac dissector
97.	Kelly Glaucoma punch
98.	Elevator (double ended)
99.	Nasal speculum adult/child
100.	Wilder punctum Dilator
101.	Bowman lacrimal probes
102.	Towel clamp
103.	Hartman mosquito forceps
104.	Colibri forceps 1*2 teech
105.	Mc. person corneal forceps with tying platform
106.	Dressing forceps, serrated
107.	Moorfieldconjuctival forceps
108.	Fixation forceps
109.	Beer cilea (epilation) forceps
110.	Arruga capsular forceps
111.	Snellen Entropion clamp
112.	Chalazion clamps
113.	Vannas straight scissors
114.	Barraquer needle holder
115.	Air injection cannula
116.	Healon aspirating cannula
117.	AC was cannula
118.	Lacrimal cannula
119.	Hydrodialysis cannula
120.	J-loop cannula (Right/Left With silicon tubing)
121.	Simcok direct I/A cannula with silicon tubing
122.	Irrigating aspirating handle
123.	Lens dialer
124.	Superior Rectus forceps

125.	Eye wash glasses (for Tarpana Karma)
126.	Swimming Goggles (for Tarpana Karma)
III	**ENT-Surgical or Operative Procedural Instruments**
127.	Aural Syringe
128.	Jobson's Aural Probe
129.	Eustachian Catheter
130.	Mastoid Retractor
131.	Mastoid Gouge
132.	Mallet
133.	Nasal Foreign Body hook
134.	Nasal packing forceps
135.	Nasal Snare
136.	Bayonet Shaped gouge
137.	Walshman's forceps
138.	Laryngeal forceps
139.	Tongue plate with throat suction
140.	Tonsil holding forceps
141.	Tonsillar suction
142.	Adenoid curette with cage
143.	Peritonsillarabcess draining forceps
144.	Fuller's Tracheostomy Tube
145.	Cheatel's Forceps
146.	Other consumable articles like gloves, syringes, bandages, sutras, etc.".

SHAMSHAD BANO, Registrar-cum-Secy.

[ADVT-III/4/Exty./124/13]

Note : *If any discrepancy in found between Hindi and English version of the namely "the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Amendment Regulations, 2013" the English version will be treated as final.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054